



छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद Chhattisgarh Council of Science & Technology

Vigyan Bhawan, Vidhan Sabha Road

Email: dgccost@gmail.com

विभिन्न योजना/प्रकल्पों के प्रस्ताव हेतु प्रपत्र

(परिषद् के विभिन्न योजनाओं की जानकारी, शर्तें, प्रावधान संलग्न है।)

प्रस्तावक की जानकारी-


- प्रस्तावक संस्था : नाम -
: पता -
: पंजीकरण क्र. -
: (नवीकृत पंजीयन प्रमाणपत्र, नियमावली तथा गत
तीन वर्षों का परीक्षित लेखा संलग्न करें।)
: दूरभाष -
: ई मेल -
- संस्था-प्रमुख : नाम -
: पता -
: दूरभाष -
: ई मेल -
- ३. सहायता राशि प्राप्त करने हेतु
अधिकृत व्यक्ति : नाम -
: पता
: दूरभाष -
: ई मेल -
: बैंक का नाम एवं खाता क्र.
- प्रकल्प संचालक : नाम -
: योग्यता -
: अनुभव -
: पता -
: दूरभाष -
: ई मेल -

योजना / प्रकल्प / गतिविधि

१. योजना का शीर्षक : विज्ञान लोकव्यापीकरण/ प्रौद्योगिकी ग्राम/ नवाचार/
सुविधा, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण/ केन्द्रीय प्रयोगशाला -
अन्य -
२. योजना का उप-शीर्षक :
३. गतिविधि का नाम :
४. कार्यक्षेत्र का नाम (भौगोलिक) :
५. कार्यक्षेत्र का स्वरूप : ग्रामीण/नगरीय/अनुसूचित जाति-जनजातिबहुल/
अन्य -
६. लाभान्वित जनसमूह का प्रकार एवं (संख्या) : ग्रामीण ()/ नगरीय ()/ महिला ()/ युवा
()/ छात्र ()/ सामान्य ()/ अन्य () -
७. स्रोतव्यक्ति/विशेषज्ञ : नाम -
: योग्यता -
: अनुभव -
: पता -
: दूरभाष -
: ई मेल -
(एक से अधिक हो तो संलग्न करें)
८. विस्तृत विवरण (उद्देश, अपेक्षित उपलब्धियाँ, परिमाणात्मक परिणाम तथा कार्ययोजना) : संलग्न करें। (५०० शब्दों में)
९. चरणबद्ध गतिविधियाँ तथा अपेक्षित आर्थिक सहायता - संलग्न प्रपत्र में जानकारी दें।
१०. मैं एतद्द्वारा अभिवचन देता हूँ कि -
१. उपर्युक्त सभी जानकारी सत्य है।
२. मैं ने परिषद द्वारा निर्धारित संलग्न प्रावधान एवं शर्तें पढ़ी है तथा इस कार्य को सम्पन्न करने में मैं उनका पूर्णतया पालन करूँगा।
संस्थाप्रमुख का हस्ताक्षर तथा सील

प्रावधान एवं शर्ते

- छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत संस्था को ही कार्य प्रदान किया जायेगा। अखिल भारतीय या अन्य किसी राज्य में पंजीकृत संस्था (जिसके कार्यक्षेत्र में छत्तीसगढ़ सम्मिलित हो) को कार्य तभी दिया जा सकता है यदि उसकी अधिकृत शाखा छत्तीसगढ़ में हो और शाखाप्रमुख के नाम से उसका दत्तीसगढ़ में स्वतन्त्र बैंक खाता हो।
- आवेदन प्रपत्र के साथ निम्न लिखित लेख अनिवार्यतया संलग्न होने पर ही कार्य दिया जाएगा।
 १. पंजीकरण का अद्यतन नवीकृत प्रमाणपत्र।
 २. संस्था का या शाखा की मातृसंस्था का गत तीन वर्षों का परिक्षित लेखा - प्रतिवेदन।
- कार्य छत्तीसगढ़ के सामाजिक/आर्थिक विकास से सम्बन्धित हो।
- यदि कार्ययोजना में अनेक संस्थाओं/सोसायटी का सहभाग प्रस्तावित हो तो उन सभी संस्थाओं का औपचारिक अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा।
- कोई प्रकल्प और उसके लिए दी जानेवाली सहायता सम्पूर्ण कार्य के लिए या उस पूरे कार्य के किसी अंश के लिए, या एक एक अंश के लिए क्रमशः दी जा सकती है। यह अंश कार्य के स्तरों के या समय के आधार पर हो सकते हैं। किन्तु एक अंश का कार्य मिलने पर अन्य अंशों का कार्य भी अनिवार्यतः प्राप्त करने का दावा करने का अधिकार संस्था को नहीं होगा।
- इस प्रकल्प में आन्तर्राष्ट्रीय प्रवास करने की अनुमति नहीं होगी।
- प्रत्येक अंश की पूर्ति के पश्चात् या एक वर्ष के उपरान्त (जो भी पहले हो) संस्था को लेखा का परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र परिषद को प्रस्तुत करना होगा।
- परिषद द्वारा प्रदत्त सहायता राशि का आंशिक तथा सम्पूर्ण कार्यपूर्ति का परीक्षित लेखा प्रतिवेदन तथा अन्तिम उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का दायित्व संस्था का होगा।
- परिषद को कोई भी कारण बताये बिना प्रकल्प को किसी भी स्तर पर स्थगित या बन्द करने का अधिकार होगा। उस स्थिति में संस्था को प्रदत्त राशि के परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ शेष राशि परिषद को वापिस करनी होगी।
- इस प्रकल्प के लिए न्यायालयीन प्रक्षेत्र रायपुर तक ही सीमित रहेगा।



छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
Chhattisgarh Council of Science & Technology

Vigyan Bhawan, Vidhan Sabha Road

Email: daccost@gmail.com

PROFORMA FOR
PROPOSALS UNDER VARIOUS SCHEMES/ PROJECTS/ ACTIVITIES

(The information of schemes with the conditions and provisions is enclosed herewith)

Information of Proposer -

1. The institution : Name –
: Address –

: Registration No.
: Phone No. -
: Email -
2. The Head of the Institute : Name –
: Address –

: Phone No. –
: Email –
3. Person empowered/authorized to receive grant from CCOST : Name –
: Address –

: Phone No. –
: Email –
: Name of the Bank and Account No.

4. Project Investigator : Name –
: Address -

: Qualifications –
: Experience –
: Phone No. –
: Email –

SCHEME/ PROJECT/ ACTIVITY

1. Name of the Scheme : Popularization of Science/ Technology Village/
Innovative Schemes/ Technology Transfer/
Central Laboratory facilities/
Others -
2. Subtitle of the Scheme :
3. Title of the Activity :
4. Duration of the Project :
5. Place/ Region of Activity :
6. Type of Region : Rural/ Urban/ S.C. - S.T. – prominent/
Other –
7. Beneficiaries,
Type, (Number) : Rural ()/ Urban()/ S.C. () - S.T. ()/
Female()/ Youth()/ Students()/
Other-()
8. Resource Person : Name –
Qualifications –
Experience –
Address –

Phone Nos. –
E Mail –
(In case of more persons, Enclose)

9. Detailed Description
(Including Objectives/
Expected Achievements,
Quantitative Output and
Work Plan) : Please enclose (In approx. 500 words)
10. Stage-wise Activities and Required Financial Assistance – In enclosed format.
11. I hereby undertake that –
 - All the information given above is correct.
 - I have read and will abide by the enclosed terms & Conditions as proscribed by CCOST.

Signature and Seal of the Head of the institute

TERMS & CONDITIONS

- The institute/Society should be registered in the state of Chhattisgarh and the work should be within the state of Chhattisgarh. An Institute/Society having registration at all India level and/or in adjoining states where in Chhattisgarh is included in the 'Work area' should have a Branch within Chhattisgarh State with independent Bank Account in the name of I/c of the branch.
- Renewed Latest Registration Certificate, along with the Audited reports of the accounts for last three years of the Institute or the that of Parent organization of the branch in Chhattisgarh must be enclosed with the application format.
- The Project/Work must be pertaining to Socio-Economic Development of Chhattisgarh State.
- In case of Multi-institutional project, the principle investigator has to obtain formal agreement from collaborating Institutions/Societies.

- The project can be sanctioned and the assistance too can be given for the entire project and/or in parts on the basis of duration or work-stages. The institution will not have any claim on getting the next part/stage essentially.
- International travel is not permissible under the project.
- Audited Utilization reports of accounts should be submitted to CCOST on the completion of every stage or every year whichever is earlier.
- The Institution shall be responsible for submitting the intermittent and final audited statement of the accounts and utilization certificate for the assistance released by the council.
- The Council reserves the right to terminate the project at any stage without giving any reason for the same. The balance funds will have to be returned back to the Council along with Utilization certificate for the funds released.
- Legal jurisdiction area for the project would be limited to Raipur.

----- **ooo** -----